

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2022—श्रावण 14, शक 1944

### भाग 3 (1)

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### CHANGE OF NAME

I, Sunitha V.S. Alias Sunita V S Chaitram Veedu W/o Shri Sadashivan KM Nambisan (old name K M Sadashivan Nambisan) and D/o Shri K.M. Vasudeva Sarma R/o Lris-7, Sector-1/A, Global Park City, Katara Hills, Huzur, Bhopal-462043 have changed my name to Sunitha Sadashivan since we got married on 27-10-2001 and an affidavit sworn before the notary public Bhopal on 03-06-22 & 23-07-22. Due to my typing mistake my name instead of Sunitha was wrongly typed as Sunita in the Madhya Pradesh Gazette Publication Number 24, Dated 17<sup>th</sup> June 2022, G-1122. Henceforth, I shall be known as Sunitha Sadashivan for all purposes.

New Name

( SUNITHA SADASHIVAN )

(G-1382)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्टलता भदौरिया पुत्री श्री श्याम सुन्दर सिंह भदौरिया अंकित है। मेरा विवाह दिनांक 10-05-2011 को श्री घनश्याम सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री शिवनारायण सिंह चौहान, निवासी शासकीय आवास नं. 31, टकसाल स्कूल के पास, 13 बटालियन, एस.ए.एफ., कम्पू लश्कर, ग्वालियर से हो गया है। विवाह के पश्चात् मैं अपना नाम परिवर्तन कर रही हूँ।

अतः भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मुझे पुष्टलता भदौरिया के स्थान पर श्रीमती प्रेरणा चौहान पत्नी श्री घनश्याम सिंह चौहान के नाम से पढ़ा, लिखा एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

( पुष्टलता भदौरिया )

पुत्री—श्री श्याम सुन्दर सिंह भदौरिया

(G-1383)

नया नाम

( प्रेरणा चौहान )

पत्नी—श्री घनश्याम सिंह चौहान

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेनू हबलानी पत्नी श्री करतार लाल हबलानी यह कि मुझे ससुराल में मुझे प्यार से सुधा हबलानी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता था दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अब मुझे भविष्य में शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे रेनू हबलानी के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम ( सुधा हबलानी )	नया नाम ( रेनू हबलानी )
	पत्नी—श्री करतार लाल हबलानी निवासी— 45, फर्स्ट फ्लोर, सिंध विहार, नदी गेट, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1384)

### नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार संघवी पिता अभय कुमार संघवी, जाति जैन, आयु 48 वर्ष, निवासी—31, नगर पालिका कर्मचारी कालोनी, महाराणा बंगले के पास, नीमच तह. व जिला नीमच, म.प्र. का होकर सूचित करता हूँ कि मेरे छोटे पुत्र का जन्म प्रमाण—पत्र में नाम काव्यांश संघवी पिता अनिल कुमार संघवी (KAVYANSH SANGHVI S/o ANIL KUMAR SANGHVI) है, लेकिन स्कूल व आधार कार्ड में गलती से काव्य संघवी पिता अनिल कुमार संघवी (KAVYA SANGHVI S/o ANIL KUMAR SANGHVI) अंकित हो गया है, लेकिन मेरे पुत्र का असली नाम काव्यांश संघवी पिता अनिल कुमार संघवी (KAVYANSH SANGHVI S/o ANIL KUMAR SANGHVI) है, इसलिए अब मेरे पुत्र को काव्यांश संघवी पिता अनिल कुमार संघवी (KAVYANSH SANGHVI S/o ANIL KUMAR SANGHVI) के नाम से जाना जावें, सर्व साधारण को सूचित होवे।

पुराना नाम ( काव्य संघवी )	नया नाम ( काव्यांश संघवी )
	(KAVYA SANGHVI)

(KAVYANSH SANGHVI)

(G-1385)

### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, भैयालाल पासवान (BHAIYALAL PASWAN) आत्मज स्व:अमरनाथ निवासी जी 14, सेन्टर मैस के पीछे 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ, रांझी, तहसील व जिला जबलपुर का निवासी हूँ तथा मैं, 6वीं बटालियन एस.ए.एफ, रांझी जबलपुर के अंतर्गत पी.टी.एस. जबलपुर में ए.एस.आई. के पद पर कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भैयालाल पासवान (BHAIYALAL PASWAN) दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं बैंक पासबुक में मेरा नाम भैयालाल पासी (BHAIYALAL PASI) दर्ज है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम भैयालाल पासवान (BHAIYALAL PASWAN) के स्थान पर अपना नाम भैयालाल पासी (BHIYALAL PASI) संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ।

पुराना नाम ( भैयालाल पासवान )	नया नाम ( भैयालाल पासी )
	(BHAIYALAL PASI)

(BHAIYALAL PASWAN)

(G-1386)

पद— ए.एस.आई. 6वीं वाहिनी पी.टी.एस,  
एस.ए.एफ रांझी जबलपुर.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर जूड जोसेफ एम्ब्रोज (Jude Joseph Ambrose) के स्थान पर एम्ब्रोज जोसेफ (Ambrose Joseph) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम एम्ब्रोज जोसेफ (Ambrose Joseph) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा। सो विदित होवे।

पुराना नाम  
(जूड जोसेफ एम्ब्रोज)

नया नाम  
(एम्ब्रोज जोसेफ)  
सी-41, द्रायकान सिटी, चोखी धाणी के पास,  
दातोदा सिमरोल तहसील महू  
जिला इन्दौर (म.प्र.) 452020.

(G-1387)

### नाम परिवर्तन

मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) आत्मज प्रथी सिंह अंकित है। लेकिन त्रुटिवश मेरी सेवा-पुस्तिका में मेरा नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDER SINGH) आत्मज प्रथी सिंह अंकित हो गया है। मेरा सही नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) आत्मज प्रथी सिंह है। जोकि मेरी सेवा पुस्तिका में अंकित करवाना चाहता हूँ।

पुराना नाम  
( NARENDER SINGH )

नया नाम  
( NARENDRA SINGH )

(G-1388)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम चंद्र भान लालचंदानी एवं चंद्र लालचंदानी आ. श्री जेठानंद लालचंदानी, निवासी-40-43 लक्ष्मी विला, ईदगाह हिल्स भोपाल म.प्र. है। यह कि मेरे नाम से जारी पूर्व के कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम चंद्र लालचंदानी दर्ज है और वर्तमान में मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे वोटर आई.डी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम चंद्र भान लालचंदानी दर्ज है उपर्युक्त दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः भविष्य में मुझे चंद्र भान लालचंदानी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम  
( चंद्र लालचंदानी )  
आ. जेठानंद लालचंदानी

नया नाम  
( चंद्र भान लालचंदानी )  
आ. जेठानंद लालचंदानी  
निवासी- 40-43, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

(G-1389)

### आम सूचना

मैं, शरद कांत मिश्रा पिता स्व. श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा, निवासी-रोशन नगर, जिला कटनी, म.प्र., निम्नांकित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि मुझ शपथकर्ता का मेरी प्रथम पत्नि श्रीमति कमिनी मिश्रा से विधि द्वारा संबंध विच्छेद हो चुका है और अब मेरे द्वारा पुर्णविवाह चंदा सिंह पति स्व. विवेक सिंह के साथ किया गया है। अब चंदा सिंह मेरी दूसरी पत्नि है और उन्हें श्रीमति चंदा मिश्रा के नाम से जाना जाता है तथा उनकी प्रथम विवाह से उत्पन्न पुत्री कु. कल्याणी सिंह आत्मज स्व. विवेक सिंह अब मेरे संरक्षण में है तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा, लालन-पालन की जिम्मेदारी मेरे द्वारा निर्वहन की जाती है। अतः हम दोनों वर्तमान पति पत्नि घोषणा करते हैं कि अब कु. कल्याणी सिंह को कु. कल्याणी मिश्रा के नाम से जाना जावे एवं उनकी माँ चन्दा सिंह को श्रीमति चंदा मिश्रा के नाम से जाना जावे तथा सभी स्कूल रिकॉर्ड, समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में ऐसा ही दर्ज किया जावे।

घोषणाकर्ता  
शरद कांत मिश्रा एवं चंदा मिश्रा

(G-1390)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गंगा प्रसाद सेन पिता श्री महाबीर सेन, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., रीवा में सेवारत हूँ और यह घोषित करता हूँ कि आठवीं को छोड़कर मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्यालय के प्रथम सेवा-पुस्तिका को छोड़कर अन्य समस्त सेवा अभिलेख में मेरा नाम उपनाम सहित गंगा प्रसाद सेन लिखा हुआ है, परन्तु मेरी पहली सेवा-पुस्तिका में उपनाम छोड़कर सिर्फ गंगा प्रसाद लिखा हुआ है, जिसके आधार पर मेरा सेवानिवृत्त आदेश क्रमांक 364, दिनांक 21-04-2022 गंगा प्रसाद के नाम से जारी किया गया है. जबकि मेरी सेवा-पुस्तिका के अन्य भागों एवं सम्पूर्ण मण्डल / कम्पनी के अभिलेखों यथा जी.पी.एफ. खाता, जी.पी.एफ. वार्षिक पर्ची, मासिक वेतन पर्ची एवं ई.आर.पी. ऑन लाइन सेवा अभिलेख आदि सभी जगहों एवं बैंक के सैलरी खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाइसेंस आदि समस्त अभिलेखों में मेरा नाम उपनाम सहित गंगा प्रसाद सेन लिखा हुआ है.

अतः अनुरोध है कि मेरे समस्त सेवा अभिलेखों में गंगा प्रसाद के स्थान पर उपनाम सहित नाम गंगा प्रसाद सेन दर्ज किया जावे तथा भविष्य में मुझे गंगा प्रसाद के स्थान पर गंगा प्रसाद सेन के नाम से ही पढ़ा, जाना, समझा एवं माना जावे.

( गंगा प्रसाद सेन )

पिता—श्री महाबीर सेन,  
शारदापुरम्, समान बौद्ध, रीवा (म.प्र.)

स्थाई निवास— ऑबी, मनगवाँ, जिला रीवा (म.प्र.)

(G-1391)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश गोठी पिता श्री बिरदीचंद गोठी, उम्र 62 वर्ष, पेशा कृषि, पता— 433, विकास नगर, वार्ड क्र. 28, बैतूल, तह. जिला बैतूल, म.प्र. पिन—460001 का निवासी हूँ मेरा पुराना नाम राजेश कुमार मांगीलाल गोठी पिता श्री मांगीलाल केशरीचंद गोठी था, उसके स्थान पर कुलनाम राजेश गोठी पिता श्री बिरदीचंद गोठी अंगीकार करता हूँ अतः कुलनाम राजेश गोठी पिता बिरदीचंद गोठी से ही जाना और पहचाना जाये.

( राजेश गोठी )

(G-1392)

### CHANGE OF NAME

Informed to the general public that according to my 10<sup>th</sup> marksheets my former name was Nikhil Pawar S/o Kailash Prasad Pawar and Sangeeta Pawar which has been changed to Nikhil Singh Chadar S/o Kailash Prasad Chadar and Sangeeta Chadar. From now onwards I shall known by my new name.

#### Old Name

( NIKHIL PAWAR )  
S/o Kailash Prasad Pawar  
and Sangeeta Pawar

#### New Name

( NIKHIL SINGH CHADAR )  
S/o Kailash Prasad Chadar  
and Sangeeta Chadar.  
R/o- Flat No. 8, C11, Police Line,  
Pigdamer, Rau, Indore (M.P.).

(G-1393)

### नाम परिवर्तन

मैं, रामबाबू अजमेरा पिता जगदीशजी अजमेरा, जाति माहेश्वरी, निवासी— कृष्णोय, D-2206, सुदामा नगर, इन्दौर, हा.मु—155, 14/2, विकास नगर, नीमच (म.प्र.) सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रामबाबू अजमेरा दर्ज है, जबकि मुझे राम अजमेरा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है एवं भविष्य में मुझे राम अजमेरा के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

किन्तु अब मैं, अपने समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अपना नाम रामबाबू अजमेरा को परिवर्तित कर राम अजमेरा दर्ज करवाना चाहता हूँ एवं भविष्य में मुझे राम अजमेरा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे. सो सर्वसाधारण को सूचित हो.

पुराना नाम

( रामबाबू अजमेरा )

नया नाम

( राम अजमेरा )

(G-1394)

निवासी— कृष्णोय, D-2206, सुदामा नगर, इन्दौर, हा.मु—155, 14/2, विकास नगर, नीमच (म.प्र.)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मनोज शर्मा था, जिसे मैंने परिवर्तित करके मुकेश शर्मा कर लिया है। अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम मुकेश शर्मा से ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम ( मनोज शर्मा )	नया नाम ( मुकेश शर्मा ) 10, राजेश नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452012
------------------------------	---

(G-1395)

**नाम परिवर्तन**

मेरा पूर्व में नाम अनुभव ठाकुर था मेरी जन्मदात्री माता श्रीमती ज्योति ठाकुर द्वारा मेरे वर्तमान पिता श्री संजय कुमार गुजरे से विवाह के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर अनुभव गुजरे पिता श्री संजय गुजरे माता श्रीमती ज्योति गुजरे हो गया है। मुझे मेरे सही नाम अनुभव गुजरे आ। संजय गुजरे के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम ( अनुभव ठाकुर )	नया नाम ( अनुभव गुजरे )
-------------------------------	----------------------------

(G-1396)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, दिलीप कुमारी पाण्डेय पति लाल बिहारी पाण्डेय, निवासी— पौरानिक टोला, मुख्यितारगंज, सतना, म.प्र. की निवासी होकर शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा घरेलू नाम पुष्पा पाण्डेय दर्ज है और मेरा सही नाम दिलीप कुमारी पाण्डेय है। दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं।

अतः आज दिनांक 21-7-2022 से मेरे समस्त दस्तावेजों में पुष्पा पाण्डेय की जगह दिलीप कुमारी पाण्डेय पढ़ा, लिखा एवं जाना, समझा जाये।

पुराना नाम ( पुष्पा पाण्डेय )	नया नाम ( दिलीप कुमारी पाण्डेय )
----------------------------------	-------------------------------------

(G-1397)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मालती परिहार पत्नि स्व. श्री मुशीराम मिर्धा है। कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मानती एवं माहन्ती अंकित हो गया है, जो कि मेरे घरेलू नाम हैं। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मेरा नाम मालती परिहार के नाम से जाना जावे, लिखा जावे व पढ़ा जावे, पुकारा जावे व मान्य किया जावे तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम मान्य किया जावे और भविष्य में इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम ( मानती/माहन्ती )	नया नाम ( मालती परिहार ) पत्नि—स्व. श्री मुशीराम मिर्धा, निवासी—गैडोल रोड, गुरु गोविन्द नगर, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
---------------------------------	---

(G-1398)

**नाम परिवर्तन**

मैं, ANSHUL KRISHNA SIMHAL S/O KRISHNA MOHAN SIMHAL, निवासी— मकान नं. 22, हवामहल रोड, पीरगेट, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम— ANSHUL SIMHAL दर्ज है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम ANSHUL SIMHAL दर्ज है, उसके स्थान पर ANSHUL KRISHNA SIMHAL पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
( ANSHUL SIMHAL )	( ANSHUL KRISHNA SIMHAL )
(G-1399)	

**नाम परिवर्तन**

मैं, VASUDEO PATIL S/O ANANDRAO, निवासी— 243, एन-2, ई-सेक्टर, बरखेड़ा, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम— VASUDEO दर्ज है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम VASUDEO दर्ज है, उसके स्थान पर VASUDEO PATIL पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
( VASUDEO )	( VASUDEO PATIL )
(G-1400)	

**CHANGE OF NAME**

I, TATICHERLA SAI RAVI KIRAN, announce that my son PRANAY SHARMA, his name PRANAY SHARMA to TATICHERLA SAI PRANAY SHARMA. In future, my son will be known as TATICHERLA SAI PRANAY SHARMA S/o Shri TATICHERLA SAI RAVI KIRAN, R/o Bungalow No. 24, Type-B, Sagar Green Hills, Kolar Road, Bhopal (M.P.).

Old Name	New Name
( PRANAY SHARMA )	( TATICHERLA SAI PRANAY SHARMA )
(G-1401)	

**नाम परिवर्तन**

मैं, शोभा बाई शर्मा, आयु करीब 64 वर्ष, पत्नि श्री रविशंकर शर्मा, निवासी— सोना मेमोरियल स्कूल के पास, अभिषेक नगर, रसूलिया, नर्मदापुरम शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड नं. 990703701917 में मेरा नाम शोभाबाई SHOBHA BAEE लिखा हुआ है जो कि गलत है, जबकि मेरे नाम की स्पेलिंग शोभा बाई शर्मा SHOBHA BAI SHARMA है जो कि सही है कृपया मेरे आधार कार्ड में भी मेरे नाम की स्पेलिंग सुधारकर शोभा बाई शर्मा SHOBHA BAI SHARMA की जावे. जो कि सही है.

पुराना नाम	नया नाम
( शोभा बाई )	( शोभा बाई शर्मा )
(G-1402)	

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म कैलादेवी बायोटेक इंडस्ट्रीज़, पता—09, इन्फ्रत ऑफ कोतवाली, एम.एस. रोड, मुरैना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02-44-01-0244-19, दिनांक 10-01-2019 को फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ। आपसी सहमति से आज दिनांक 18-10-2021 को फर्म से अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री ठाकुर दास गर्ग एवं संजय कुमार गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गर्ग पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से घनश्याम गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल एवं मुकुल गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से फर्म का नया पता रजिस्टर्ड पता— प्लॉट नं. ई 5, ई 6, ई 15 एवं ई 16, इंडस्ट्रीयल एरिया, जडेझां, जिला मुरैना हो गया है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

(G-1403)

मुकुल गोयल,

कैलादेवी बायोटेक इंडस्ट्रीज़,  
पता— प्लॉट नं. ई 5, ई 6, ई 15 एवं ई 16,  
इंडस्ट्रीयल एरिया, जडेझां, जिला मुरैना (म.प्र.)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री इंटरप्राइजेस, भोपाल, मध्यप्रदेश में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00270-06, वर्ष 2005-2006, दिनांक 06 मार्च 2006 को पंजीबद्ध है। उक्त फर्म में दिनांक 01-10-2012 को श्री रचित गुप्ता एवं श्री तरुण झवर को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया है और दिनांक 08-10-2019 को भागीदार श्री बृज मोहन गुप्ता एवं श्री रचित गुप्ता एवं दिनांक 05-05-2022 को भागीदार श्री एस. एन. झवर अपनी—अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं तथा उक्त फर्म में अंशु झवर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं। अब उक्त फर्म में वर्तमान में कुल भागीदार की संख्या दो (1) तरुण झवर एवं (2) अंशु झवर हैं।

(G-1404)

श्री इंटरप्राइजेस, भोपाल, मध्यप्रदेश,

तरुण झवर,  
भागीदार।

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कस्तूरी एसोसिएट्स, पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0223-19, पता— मकान नं. डी-1 / 152, दानिश नगर, होटल कस्तूरी, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र. के भागीदारी विलेख में परिवर्तन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है— शशीकांत पाटीदार पिता श्री गोविंद प्रसाद पाटीदार, पता— मकान नं. 3755, राम मंदिर के पास, मिसरोद, भोपाल, म.प्र. को दिनांक 01-04-2022 से आपसी सहमति निवृत किया जाता है।

(G-1405)

भवदीय,

गोविंद प्रसाद पाटीदार,  
कस्तूरी एसोसिएट्स,  
डी-1 / 152, दानिश नगर, होटल कस्तूरी,  
होशंगाबाद रोड, भोपाल।

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मातेश्वरी इंटरप्राइजेज, पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0020-16, पता— मकान नं. 169, शिव नगर कॉलोनी, छोला रोड, भोपाल-46207, म.प्र. के भागीदारी विलेख में परिवर्तन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है— नाथूलाल गुर्जर पिता श्री गोपी लाल, पता—रूपपुरा लहेरिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान एवं नारूलाल गुर्जर पिता श्री गोपी लाल, पता— 92, गुर्जर मोहल्ला, गोन रूपपुरा तहसील मंडल रूपपुरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान को दिनांक 03-06-2022 से नया साझेदार बनाया जाता है।

(G-1406)

भवदीय,

नवीन हरेन्द्र पालीवाल,  
प्लाट नं. 153, ओम नगर, नियर पोतभारे  
आठा चक्की, कोराडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र।

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. केशव पल्सेस, 23/2, साजन नगर, इंदौर, म.प्र. जो रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है, जिसमें मनीष बंसल पिता मुन्नालाल बंसल, भगवतीबाई बंसल पति मुन्नालाल बंसल और मेघा बंसल पति आशीष बंसल साझेदार हैं। जिसमें मेघा बंसल और भगवतीबाई बंसल 31-03-2021 को फर्म से निवृत्त हो गयी हैं, वहीं आशीष बंसल पिता मुन्नालाल बंसल को 01-04-2021 से साझेदारी में समिलित कर लिया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

**CA राजेन्द्र खण्डेलवाल एन्ड कम्पनी,**  
9/2, न्यू पलासिया, इंदौर.

(G-1407)

भागीदार,  
आशीष बंसल पिता मुन्नालाल बंसल,  
मेसर्स केशव पल्सेस,  
23/2, साजन नगर, इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत मैं, शबनम मंसूरी पुत्री आ. श्री जहीर खान, आयु वयस्क, निवासी—डी 20, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) द्वारा अपना नाम साक्षी भार्गव पुत्री आ. श्री विनीत भार्गव परिवर्तित किया जा रहा है एवं अब इनको भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

पुराना नाम  
(शबनम मंसूरी)  
आ. श्री जहीर खान

(G-1408)

नया नाम  
(साक्षी भार्गव)  
आ. श्री विनीत भार्गव,  
निवासी—डी 20, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल.

### नाम परिवर्तन

मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत मैं, इमरान खान पुत्र आ. श्री जहीर खान, आयु वयस्क, निवासी—डी 20, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) द्वारा अपना नाम सिद्धार्थ भार्गव पुत्र आ. श्री विनीत भार्गव परिवर्तित किया जा रहा है एवं अब इनको भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

पुराना नाम  
(इमरान खान)  
आ. श्री जहीर खान

(G-1409)

नया नाम  
(सिद्धार्थ भार्गव)  
आ. श्री विनीत भार्गव,  
निवासी—डी 20, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल.

### नाम परिवर्तन

मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत मैं, शबाना मंसूरी पुत्री आ. श्री जहीर खान, आयु वयस्क, निवासी—डी 20, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) द्वारा अपना नाम निधि भार्गव पुत्री आ. श्री विनीत भार्गव परिवर्तित किया जा रहा है एवं अब इनको भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

पुराना नाम  
(शबाना मंसूरी)  
आ. श्री जहीर खान

(G-1410)

नया नाम  
(निधि भार्गव)  
आ. श्री विनीत भार्गव,  
निवासी—डी 20, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल.

### नाम परिवर्तन

यह कि मेरे पुत्र ओम पटेल (OM PATEL) जो कि सेज इन्टरनेशनल स्कूल, कोलार रोड, भोपाल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है, मेरे पुत्र का पूर्व नाम ओम पटेल (OM PATEL) है, जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तन कर अविरल पटेल (AVIRAL PATEL) रख दिया है। भविष्य में अविरल पटेल (AVIRAL PATEL) के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

पुराना नाम  
ओम पटेल (OM PATEL)

(G-1411)

नया नाम  
अविरल पटेल (AVIRAL PATEL)  
आत्मज विनोद पटेल.

### आमसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पेटेक कंस्ट्रक्शन्स जो 16, किशोर सागर काम्पलेक्स छतरपुर म.प्र. मे स्थित है जिसका पंजीयन कमांक एस. एफ. - 15, 2004 दिनांक 26.07.2004 है जिसमे दिनांक 01.04.2004 को नौ पार्टनर हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं (1) श्री जगदीश प्रसाद चौरसिया, (2) श्री अनुराग मेहतोन, (3) श्री नीरज चौरसिया, (4) श्री मति अंजना चौरसिया, (5) श्री मति भूनिया वाई चौरसिया, (6) श्री मति लक्ष्मी मेहतोन, (7) श्री मति राज कुमारी मेहतोन, (8) श्री मति शुभ्रता मेहतोन, (9) श्री मति विमला चौरसिया हैं एवं दिनांक 02.11.2015 को श्री जगदीश प्रसाद चौरसिया, श्री अनुराग मेहतोन, श्री मति भूनिया वाई चौरसिया, श्री मति लक्ष्मी मेहतोन, श्री मति राज कुमारी मेहतोन, श्री मति शुभ्रता मेहतोन अपनी स्वेच्छा से फर्म मे प्रथक हो गए। दिनांक 01.04.2014 को श्री मति विमला चौरसिया अपनी स्वेच्छा से प्रथक हो गई और श्री शुभांकर चौरसिया फर्म मे समिलित हुये दिनांक 16.08.2021 को श्री मति अंजना चौरसिया फर्म से प्रथक हो गई और उसी दिनांक को कु. निवेदिता चौरसिया फर्म मे शामिल हुई है। वर्तमान मे पार्टनर की संख्या 3 है (1) श्री नीरज चौरसिया पिता श्री जगदीश प्रशाद चौरसिया (2) श्री शुभांकर चौरसिया वर्तमान अधिनियम, 2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशोंके अनुसार एक और बिंदु जोड़कर नियम और शर्त मे बदलाव की आवश्यकता है, यानी "साझेदारी फर्म" क्या हम केवल विषय को हल करेंगे भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 42 (बी) के प्रावधान के लिए और कोई भी विघटन पूरा नहीं किया जाएगा, और फर्म के सभी भागीदार परियोजनाओं के आवंटियों को इसके पूरा होने के लिए, शर्तों और शर्तों के साथ संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार होंगे। इस विलेख के लिए उपरोक्त पक्षों की आपसी सहमति है। उक्त विषय हेतु किसी को भी कोई आपत्ति होतो कृपया कर निम्नलिखित नंबर पर सूचित करें, आम जन तथा सर्व जन सूचित हैं।

भागीदार

फर्म मेसर्स पेटेक कंस्ट्रक्शन  
सागर, काम्पलेक्स, छतरपुर, मध्यप्रदेश

(G-1412)

### PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed regarding the firm M/s. Bansi Talkies Mahapura, Shajapur (M.P.) registration number 2330 dated 09/12/1985.

- 1) That on 28/02/1996 (1) Mr.Naginchand S/o Mr. Dulichand ji Kothari R/o E-42, Saket Nagar ,indore District indore (M.P), (2) Mr.Dinesh kumar S/o Mr. Siddhanthji R/o Somwariya bazar, Shajapur, (M.P),and (3) Mr. Surendra Kumar S/o Mr. Siddhanathji R/O Somwaria Bazar, Shajapur , Distt. Shajapur (M.P.) had been entered as new Parteners in the firm out of whom Naginchand voluntarily retired from The Firm M/s Bansi Talkies on 15-07-2005. He is no more now-.
- 2) That on 28/02/1996 (1) Rameshchandra S/o Shri Narayandas address Indore Dist. Indore (M.P.) (2) Sunil Kumar S/o Shri Rameshchandra add.Indore, Dist. Indore (M.P.) (3) Sanjeev Kumar S/o Shri Rameshchandra Add. Indore, Dist. Indore (M.P.), and (4) Rajesh kumar S/o Rameshchandra Add. Indore Dist. Indore (M.P.) had retired from the firm M/s Bansi Talkies Add. Mahupura Shajapur (M.P.) voluntarily.

That since 28/02/1996, all the four partners (Rameshachandra, Sunil Kumar, Sanjeev Kumar and Rajesh kumar) have nothing to do with this firm M/s Bansi talkies. Rameshchandra has already been expired.

- 3) That Mr. Naginchandra S/o Mr. Dulichand had voluntarily retired from the firm M/s Bansi talkies Shajapur on 15/07/2005
- 4) That since 15/07/2005 Mr. Naginchandra S/o Dulichandji Kothari Add. E-42 Saket Nagar Indore, Dist. Indore (M.P.) (Partner) has nothing to do with this firm. At present following Two persons who are already running this firm will be partners in M/s Bansi Talkies, Mahupura , Shajapur (M.P.) as per rules.
  1. Mr Dinesh Kumar Nawab S/o Shri Siddhnathji Nawab R/o Shajapur (M.P.)
  2. Mr. Surendra Nawab S/o Shri Siddhnathji Nawab R/o Shajapur (M.P.)

**Partner**

Mr. Dinesh Nawab  
Mr. Surendra Nawab

## विविध

न्यायालयों की अधिसूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीकरण अधिकारी, श्योपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0001-2022-23-बी-113-1552

श्योपुर, दिनांक 19 जुलाई 2021

सूचना—पत्र

### लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर जिला श्योपुर के समक्ष

यतः श्री कलीमुददीन पुत्र मुल्ला अबदे अली निवासी वार्ड क. 04 बोहरा बाजार श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर द्वारा ट्रस्ट दाउदी बोहरा जमात श्योपुर म०प्र० को मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक: **26/08/2022** को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा स्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

**संबंधित सम्पत्ति की अनुसूची :—** लोक न्यास का नाम ट्रस्ट दाउदी बोहरा जमात श्योपुर म०प्र० बोहरा मोहल्ला, सैफी चौक बोहरा मस्जिद के पास वार्ड क्रमांक 04 श्योपुर ट्रस्ट का मस्जिद व कार्यालय प्रस्तावित है। चल संपत्ति में बैंक खाता क्रमांक 2054227775 जो श्री दाउदी बोहरा जमात श्योपुर ट्रस्ट जिला श्योपुर के नाम से सैन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया श्योपुर जिला श्योपुर में होकर जिसमें 10,583/- दस हजार पाँच सौ त्रिशासी रुपये वर्तमान में जमा हैं। इसके अतिरिक्त दान, बक्षिस एवं भविष्य में अचल संपत्ति से प्राप्त आय अनुमानित वार्षिक आय 50,000/- पचास हजार रुपये है।

लोकेंद्र सिंह सरल, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक.

(G-1414)

न्यायालय, दिव्या अवस्थी, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर  
राजस्व प्र.क्र. बी-113(4)-2022-23

#### प्रारूप-4

#### सूचना पत्र नियम-5(1) देखिए,

म०प्र० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) एवं म०प्र०लोकन्यास-अधिनियम 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत

चूंकि आवेदक सत्यानंद परमार्थ ट्रस्ट, द्वारा अध्यक्ष महेश्वर जिला जबलपुर द्वारा न्यास के कार्यालय का पता परिवर्तित करने हेतु म०प्र० लोकन्यास अधिनियम 1951 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक २५/०८/२०२२ को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे कें कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाशक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची :- (लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम व पता :- सत्यानंद परमार्थ ट्रस्ट, द्वारा अध्यक्ष महेश्वर जिला जबलपुर
2. पुराना पता :- 19, सत्यानंद बिहार, रामपुर जबलपुर
3. नया पता:- श्री विश्वाल दीपावरे वित ट्रस्टी 48, सत्यानंद बिहार रामपुर जबलपुर

श्रीमति दिव्या अवस्थी, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1415)

न्यायालय, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर

प्रक्र. 04-2022-23-B113(1)

-:नियम चार:-

(नियम 5 (1) देखिये)

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये

### पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

स्व. श्री गेंदालाल जी देवडा जीनगर सेवा संस्थान मंदसौर ट्रस्ट म.प्र.

चूंकि श्रीमती रेणु पति जगदीश देवडा निवासी सी-5 74 बंगला भोपाल द्वारा स्व. श्री गेंदालाल जी देवडा जीनगर सेवा संस्थान मंदसौर ट्रस्ट पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16/8/2022 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः मे बिहारीसिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16/8/2022 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

### संपत्ति का विवरण:-

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| (अ) अचल सम्पत्ति:- | कुछ नहीं।           |
| (ब) चल सम्पत्ति:-  | राशि रुपये 11,000/- |

लोक न्यास का नाम:- स्व. श्री गेंदालाल जी देवडा जीनगर सेवा संस्थान मंदसौर ट्रस्ट

बिहारीसिंह, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1416)

कार्यालय, पंजीयक एवं लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन

प्र.क्र. 0004-बी-113-2022-23-471

उज्जैन, दिनांक 11 जुलाई 22

प्रारूप चार  
(नियम-5) 1 (देखिए)  
सूचना पत्र

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959( 1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोकन्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,  
लोकन्यास,  
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक श्री दिव्य धाम देव स्थान ट्रस्ट उज्जैन, निवासी प्रस्तावित कार्यालय विनायक सिटी हाटकेश्वर बिहार के सामने, न्यू रिंग रोड, नानाखेड़ा उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 ( की धारा-4 के अधीन अनुसूची मे लोक न्यास की तरह सार्वजनिक, नारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28.06.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलैस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28.06.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में ~~दिनांक~~ कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए । उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची:-

( लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम:- श्री दिव्य धाम देव स्थान ट्रस्ट उज्जैन, निवासी प्रस्तावित कार्यालय विनायक सिटी हाटकेश्वर बिहार के सामने, न्यू रिंग रोड, नानाखेड़ा उज्जैन म.प्र.

कार्यालय:- विनायक सिटी हाटकेश्वर बिहार के सामने, न्यू रिंग रोड, नानाखेड़ा उज्जैन

अचल संपत्ति :- निवासी

चल संपत्ति:- निवासी

जगदीश मेहरा, पंजीयक एवं लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1417)

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

क्र. परि.-2022-980

देवास, दिनांक 7 जुलाई 22

—: कारण बताओ सूचना पत्रः—  
(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत)

प्रबंधक / प्रशासक  
दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था  
मर्यादित पिपलकोटा

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपलकोटा जिसका पंजीयन क्रमांक 1563 दिनांक 05.06.2014 है, द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49 (7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक द्वारा आवेदन दिनांक 23.05.2022 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगभग दो-तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि न होकर आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। उपरोक्त स्थिति में संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता है।

अतः क्यों न म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो दिनांक 26.07.2022 तक लिखित उत्तर प्रस्तुत करें, अथवा प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 25.07.2022 को कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक ०१-८-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1418)

क्र. परि.-2022-979

**—: कारण बताओ सूचना पत्रः—**  
**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत)**

दुर्ग्रुह उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित घायली जिसका पंजीयन क्रमांक 1609 दिनांक 15.01.2016 है, द्वारा समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने एवं संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49 (7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक द्वारा आवेदन दिनांक 23.05.2022 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगभग दो-तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि न होकर आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिन उद्देश्यों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। उपरोक्त स्थिति में संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित पाता हूँ।

अतः क्यों न म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो दिनांक 26.07.2022 तक लिखित उत्तर प्रस्तुत करें, अथवा प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 25.07.2022 को कार्यालयीन समय में यह रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।


यह कारण बताओं सूचना पत्र आज दिनांक ०१-०१-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1419)

क्र. परि.-2022-781

## —: आदेश :—

नव जागृति साख सहकारी संस्था मर्यादित देवास पंजीयन क्रमांक 16 दिनांक 04.02.2014 है के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है। तत्संबंध में संस्था को म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 617 दिनांक 28.04.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला देवास म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव जागृति साख सहकारी संस्था मर्यादित देवास पंजीयन क्रमांक 16 दिनांक 04.02.2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री श्रीती लक्ष्मण ठाकुर,  को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।


यह आदेश आज दिनांक ०१-०१-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1420)

क्र. परि.-2022-982

## —: आदेश :—

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नरसिंहपुरा पंजीयन क्रमांक 1287 दिनांक 03.11.2012 है के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है। तत्संबंध में संस्था को म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 704 दिनांक 13.05.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 25 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला देवास म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नरसिंहपुरा 1287 पंजीयन क्रमांक 1287 दिनांक 03.11.2012 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री यिनायु लक्ष्मण,  को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०१-०१-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1421)

क्र. परि.-2022-983

## —: आदेश :—

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कनाड पंजीयन क्रमांक 1325 दिनांक 30.05.2013 हैं के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 30.03.2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है। तत्संबंध में संस्था को म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 619 दिनांक 28.04.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ जिला देवास म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कनाड पंजीयन क्रमांक 1325 दिनांक 30.05.2013 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री विनोद रत्नपाल ठाकुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०१-०७-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1422)

क्र. परि.-2022-984

## —: आदेश :—

अखेपुर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अखेपुर पंजीयन क्रमांक 1544 दिनांक 31.01.2015 हैं के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 09.05.2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है। तत्संबंध में संस्था को म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 774 दिनांक 26.05.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ जिला देवास म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखेपुर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अखेपुर पंजीयन क्रमांक 1544 दिनांक 31.01.2015 हैं, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री जर्ही लक्ष्मण ठाकुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०१-०७-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1423)

क्र. परि.-2022-985

**गुरुदत्त बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांगर पंजीयन क्रमांक 1560 दिनांक 08.05.2015 है के प्रशासक के पत्र दिनांक 05.04.22 अनुसार संस्था का पदभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 01.04.22 को संस्था सदस्यों की बैठक आहूत की जाकर संस्था के निर्वाचन कराने का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु संस्था सदस्यों द्वारा बैठक में अवगत कराया कि संस्था के सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है न ही संस्था के आगे संचालन की कोई संभावना है, तत्संबंध में संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 618 दिनांक 28.04.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र से प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था। सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रशासक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में ही संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्ताव ठहराव संलग्न किया था कि संस्था का संचालन करने में किसी भी सदस्य की कोई रुचि न होना, आगे भी कोई संचालन की संभावना नहीं होना दर्शित बताया है। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।**

अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला देवास म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुदत्त बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांगर पंजीयन क्रमांक 1560 दिनांक 08.05.2015 है को अधिनियम की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री<sup>पंजीयन क्रमांक 618</sup> को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक ०८-०५-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुदा से जारी किया जाता है।

महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप रजिस्ट्रार.

(G-1424)

### मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	गुरुदत्त बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांगर	1560/08.05.2015	985/07.07.22

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेशित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कायालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए.बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझाकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दाविदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविश्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

अनिता मेहरा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-1425)

**OFFICE OF THE  
JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-1  
ANNEXE BUILDING, NAPIER TOWN, JABALPUR, (M.P.)**

Order No. 1/2022-23

Dated 27/07/2022

**ORDER UNDER SECTION 120 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in accordance with Notification Number S.O. No. 2752 (E) dated 22<sup>nd</sup> October, 2014 of Government of India, Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(ii) dated 22<sup>nd</sup> October, 2014 [Notification No. 50/201/F/No. 187/38/2017(ITA.I)], Notification No. 64/2014 F. No. 187/40/2014 ITA-I) dated 13.11.2014 and subsequent order of the Principal Commissioner of Income-tax-1, Jabalpur dated 14/09/2020 vide F.No. PR.CIT-1/JBP/120/JURISDICTION/2020-21/1306, dated 14/09/2020, I, the Joint Commissioner of Income Tax, Range-1 Jabalpur having been authorized so, hereby make the following amendments in order under section 120 of the Income tax Act, 1961 No. 2/2020-21 passed in F.No. JCIT/R-1/JBP/JURISDICTION/2020-21/DATED 24/09/2020 as the post of ITO-2, Satna has been diverted and the post of ITO(Tech), Jabalpur (Stationed at Jabalpur) has been created against the post of ITO-2, Satna vide Pr. CCIT, MP&CG, Bhopal's office order F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech./FAS/2019(New-Hierarchy/2021-22/4164, dated 18/07/2022.

(i). For the Schedule appearing in order under section 120 of the Income tax Act, 1961 No. 2/2020-21 passed in F.No. JCIT/R-1/JBP/JURISDICTION/2020-21/DATED 24/09/2020, the following schedule shall be substituted.

**SCHEDULE**

Sl. No.	Designation of Income- tax authorities	H. qtrs	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deputy/Assi- stant Commissio- ner of Income Tax, Circle- Katni	Katni	Entire territorial area under the jurisdiction of Addl./JCIT, R-Sagar	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
			District. of Katni, Umariya, Shahdol & Anuppur.	<p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>h. Persons being individuals referred to in item (d) of column(6).</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(d)All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>



		District of Satna, Panna, Rewa, Sidhi and Singrauli	i. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 20 lacs.  j. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above.  k. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014 exceeds income / loss of Rs. 15 lacs and above  l. Persons being individuals referred to in item (f) of column(6).	(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)  (f) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) of column (5).	
2.	Income Tax Officer-I, Sagar	Sag ar	a) Municipal Ward of Sagar City:-  1. Civil Line 2. Gour Nagar Ward 3. Rajakhedi 4. Patkui 5. Bararu 6. All Army Area 7. Sadar Area 8. Bhagwanganj, 9. Tulsi Nagar 10. Gujrati Bazar 11. Shukrawati Tori 12. Shanlchari Tori 13. Krishna Ganj	a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.  b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.  c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.  d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)  (b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
		EASH KUMAR GUPTA Joint Commissioner of Income Tax Range 1/2, Jabalpur	a) Municipal Ward of Sagar in Makroniya area  b) Tehsils of Sagar District: 1. Rehli 2. Garhakota 3. Banda 4. Shahgarh	e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.  f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.	(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);  (d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in

		5. Rahatgarh 6. Deori	<p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>h. Persons being individuals referred to in item (d) of column(6).</p>	corresponding entry in item (e) of column (5).
		<p>a) Municipal Ward of Sagar City:-</p> <p>1. Shivaji Ward 2. Gopalganj Ward 3. Tili Ward 4. Dharmshree 5. Rajghat Area 6. Mainpani 7. Somnathpuram 8. Rajeev Nagar Ward 9. Kakaganj Ward 10. Keshavganj Ward 11. Bada Bazar 12. Namak Mandi Area 13. Parkota Ward 14. Teen Batti Area 15. Vijay Talkies area 16. Bhopal Road.</p> <p>b) Tehsil Sagar Excepting area within municipal limits of Sagar city and cantonments board.</p>	<p>i. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>j. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>k. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>l. Persons being individuals referred to in item (f) of column(6).</p>	<p>(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(f) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) of column (5).</p>
		Tehsil of Sagar District:	<p>m. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>n. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p>	<p>(g) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5);</p> <p>(h) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in</p>

**RAJESH KUMAR GUPTA**  
Joint Commissioner of  
Income Tax Range 1/2, Jabalpur

				<p>o. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014, does not exceed income / loss of Rs.15 lacs.</p> <p>p. Persons being individuals referred to in item (h) of column(6).</p>	corresponding entry in item (m) of column (5).
3.	Income Tax Officer, Ward-I, Katni	Katni	Ward No.16 to 30 of Katni (Murwara) Tehsil, Bahoriband Tehsil & Dhimarkheda Tehsil of District - Katni	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
			Ward 1 to 15 of Katni (Murwara) Tehsil, Badwara Tehsil & Rithi Tehsil of District - Katni	<p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>h. Persons being individuals referred to in item (d) of column(6).</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>



.....OTA

			Ward No. 31-45 of Katni (Murwara) Tehsil, & Vijayraghogarh Tehsil of District - Katni	<p>i. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>j. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>k. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>l. Persons being individuals referred to in item (f) of column(6).</p>	(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5) (f) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) of column (5).
4.	Income Tax Office-1, Shahdol	Shahdol	District except territorial area of Beohari Tehsil and Anuppur District.	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5) (b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
			Umariya District and territorial area of Beohari Tehsil of Shahdol District.	<p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p>	(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5) (d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).

RAJESH KUMAR GUPTA  
Joint Commissioner of  
Excise & Tax Range 1/2, Jabalpur

27-7-22

				15 lacs and above	
5.	Income Tax Officer, Ward-I, Satna	Satna	Ward No. 1 to 45 of Municipal Corporation (Nagar Palika Nigam) of Satna District & Panna District	<p>h. Persons being individuals referred to in item (d) of column(6).</p> <p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
6.	Income Tax Officer, Ward -I, Rewa	Rewa	Ward No. 1-35 of Municipal Corporation (Nagar Palika Nigam) of Rewa District	<p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
			Ward No. 36-45 of Municipal Corporation of Rewa District and Siddhi District	<p>e. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>f. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>g. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding</p>

RAJESH KUMAR GUPTA  
Joint Commissioner of  
Income Tax Range 112, Jabalpur

				place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1 <sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above	g entry in item (e) of column (5).
7.	Income Tax Office, Singrauli	Singrauli In the District of Singrauli		<p>h. Persons being individuals referred to in item (d) of column(6).</p> <p>a. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); whose last return/ last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 20 lacs.</p> <p>b. Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above.</p> <p>c. Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1<sup>st</sup> April, 2014 does not exceed income / loss of Rs. 15 lacs and above</p> <p>d. Persons being individuals referred to in item (b) of column(6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in column (5)</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

This order shall come into force with effect from 01/08/2022.

(RAJESH KUMAR GUPTA)  
 Joint Commissioner of  
 Income Tax Range 1,  
 Jabalpur.

(G-1426)



### मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन का उपकरण) CIN: U40109MP2001SGC014880

#### मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक नं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर, (म.प्र.) 482008, दूरभाष (0761) 270-2132, 2242

(Email- ce.pnd@mptransco.nic.in)

*[Signature]*  
अधिकारी  
अधिकारी

#### अधिसूचना

क्रमांक : 04-02/195/यो. रूपा. /1687

जबलपुर, दिनांक : 22 .07. 2022

यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67(2) एवं धारा 176(2) डे के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीएम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्संर्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की है।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

(1) नाम : ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों एवं उपकेंद्रों से संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में समिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

(I) महत्वपूर्ण विभागीय कार्य :

(क) नवीन 132/33 केव्ही उपकेन्द्र :

1. 132 के.व्ही. सलकनपुर, जिला—सीहोर में उपकेन्द्र का निर्माण, परियोजना लागत लगभग रु. 2200 लाख
2. 132 के.व्ही. जीआईएस उपकेंद्र फूलबाग, जिला—ग्वालियर (2x50 एमव्हीए), लागत रु. 5185.68 लाख
3. 132 के.व्ही. उपकेंद्र गडला, जिला—गुना (2x50 एमव्हीए), लागत रु. 2154.94 लाख

(ख) नवीन 220/33 केव्ही उपकेन्द्र :

1. पूलिंग उपकेन्द्र चित्रामोड़ (फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर)
2. पूलिंग उपकेन्द्र सकतापुर (फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर)
3. 220/33 के.व्ही (एआईएस) उपकेन्द्र का मेसर्स एचईजी लिमि. भोपाल के लिये निर्माण कार्य

**132 के.व्ही कार्य : पारेषण कार्य :**

1. 132 के.व्ही. उपकेंद्र ग्वालियर-II से महलगांव लाईन के एक परिपथ का फूलबाग जीआईएस उपकेन्द्र के लिये लीलो कार्य, लंबाई 6 कि.मी. अनुमानित लागत— रु. 6038.44 लाख।
2. 132 के.व्ही. उपकेंद्र मोतीझील से बामोर लाईन का मुरार उपकेन्द्र हेतु लीलो कार्य, लंबाई 7.9 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र मुरार में संबंधित 2 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 1382.53 लाख।
3. 132 के.व्ही. कापसी से गडला डीसीएसएस लाईन का कार्य, लंबाई 35 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र कापसी में संबंधित 132 के.व्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 15.12 लाख।
4. 132 के.व्ही. गडला से मयाना डीसीएसएस लाईन का कार्य, लंबाई 37 कि.मी. तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र मयाना में संबंधित 132 के.व्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 15.75 लाख।
5. 132 के.व्ही. जबलपुर से पनागर डीसीडीएस लाईन का व्हीएफजे उपकेन्द्र में निर्माण कार्य, तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र व्हीएफजे में संबंधित 2 नग 132 के.व्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य, लंबाई 12.1 कि.मी. अनुमानित लागत— रु. 2749.76 लाख।
6. 132 के.व्ही. जबलपुर से पनागर डीसीडीएस लाईन का लीलो निर्माण कार्य माझोताल उपकेन्द्र में, तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र माझोताल में संबंधित 2 नग 132 के.व्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य लंबाई 0.5 कि.मी. अनुमानित लागत— रु. 28.31 लाख।

7. 132 के.व्ही. उपकेंद्र ग्यारसपुर में बेगमगंज (टीबीसीबी) हेतु 1 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 91.75 लाख।
8. 132 के.व्ही. उपकेंद्र गैरतगंज में बेगमगंज (टीबीसीबी) हेतु 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य अनुमानित लागत— रु. 181.11
9. 132 के.व्ही. उपकेंद्र ग्यारसपुर में पठारी (टीबीसीबी) हेतु 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य अनुमानित लागत— रु. 160.90 लाख।
10. 220 के.व्ही. उपकेंद्र मुंगलियाछाप में एचओडी भोपाल (टीबीसीबी) हेतु 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य अनुमानित लागत— रु. 188.77 लाख।
11. 132 के.व्ही. उपकेंद्र खुजनेर में छापिहेड़ा (टीबीसीबी) हेतु 1 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य अनुमानित लागत— रु. 101.70 लाख।
12. 220 के.व्ही. उपकेंद्र नलखेड़ा में छापिहेड़ा (टीबीसीबी) हेतु 1 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 91.75 लाख।
13. 132 के.व्ही. खिलचीपुर आरटीएस लाइन का निर्माण कार्य लंबाई 02 कि.मी.अनुमानित लागत— रु. 254.52 लाख।
14. 132 के.व्ही. बुधनी आरटीएस डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य एवं 220 के.व्ही बुधनी में 2 नग 132 के.व्ही आरटीएस फीडर बे का निर्माण कार्य लंबाई 08 कि.मी.अनुमानित लागत— रु. 2262.15 लाख।
15. 132 के.व्ही. बुधनी से सलकनपुर डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य एवं 220 के.व्ही बुधनी में 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य लंबाई 28 कि.मी. अनुमानित लागत— रु. 2843.07 लाख।
16. 132 के.व्ही. उदयपुरा से बरेली डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य तथा 132 के.व्ही. उपकेंद्र बरेली में संबंधित 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य लंबाई 70 कि.मी.अनुमानित लागत— रु. 2744.7 लाख।
17. 400 के.व्ही उपकेन्द्र सीतामउ (मंदसौर) में आलोट — सीतामउ डीसीडीएस लाइन के लीलो कार्य हेतु 4 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य अनुमानित लागत— रु. 314.22 लाख
18. 400 के.व्ही उपकेन्द्र सीतामउ (मंदसौर) में 132 के.व्ही आलोट — सीतामउ डीसीडीएस लाइन का लीलो कार्य लंबाई 7.568 कि.मी अनुमानित लागत— रु. 796.86 लाख
19. 132 के.व्ही नीमच — मंदसौर डीसीडीएस लाइन के एक परिपथ का 132 के.व्ही उपकेन्द्र मल्हारगढ़ में लीलो कार्य एवं इस हेतु मल्हारगढ़ में 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य लंबाई 0.528 कि.मी अनुमानित लागत— रु. 299.18 लाख।
20. 220 के.व्ही उपकेन्द्र मांगलिया से खजराना आरएसएस मेट्रो रेल प्रॉजेक्ट के लिये 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन का अंडर ग्राउंड लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 10 कि.मी.
21. मांगलिया बुधनी बॉडगेज रेल लाइन निर्माण के कारण 220 के.व्ही आष्टा देवास लीलो चापड़ा लाइन का विस्थापन कार्य लंबाई 1.5 कि.मी.
22. 132 के.व्ही जुलवानिया — बड़वानी लाइन का 132 के.व्ही उपकेन्द्र अंजड़ के लिये लीलो कार्य लंबाई 1.5 कि.मी.
23. 132 के.व्ही छनेरा (220 के.व्ही) — सिंगोट डीसीएसएस लाइन का लीलो कार्य लंबाई 44 कि.मी.
24. 132 के.व्ही बरवाहा — छेगांव डीसीडीएस लाइन के एक परिपथ का 132 के.व्ही उपकेन्द्र अटूटखास के लिये लीलो कार्य लंबाई 22.445 कि.मी.
25. 132 के.व्ही किरनापुर (400 के.व्ही)–वारासिवनी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य एवं किरनापुर 400 के.व्ही उपकेन्द्र में 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
26. 132 के.व्ही कटनी मनसकरा लाइन के एक सर्किट का स्लीमनाबाद उपकेन्द्र में लीलो एवं 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का स्लीमनाबाद में निर्माण कार्य लंबाई 42 कि.मी.
27. 132 के.व्ही सतना — पन्ना सिंगल सर्किट लाइन का 132 के.व्ही उपकेन्द्र नागौद में लीलो कार्य एवं 2 नग 132 के.व्ही उपकेन्द्र नागौद में फीडर बे का निर्माण कार्य।
28. हटा-बीजावर 132 के.व्ही लाइन का 132 के.व्ही उपकेन्द्र बटियागढ़ में लिलो कार्य एवं बटियागढ़ में 2 नग फीडर बे का निर्माण कार्य।
29. 132 के.व्ही उपकेन्द्र वारासिवनी में किरनापुर-वारासिवनी डीसीडीएस लाइन के लिये 2 नग 132 के.व्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
30. 132 के.व्ही उपकेन्द्र पटेरा में पटेरा-दमोह द्वितीय परिपथ के लिये 1 नग 132 के.व्ही फीडर बे एवं पटेरा-सिमरिया लाइन (टीबीसीबी) के लिये पटेरा में 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य।

31. 220 केव्ही उपकेन्द्र दमोह में पटेसा—दमोह द्वितीय परिपथ के लिये दमोह में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
32. हटा — सिमरिया (टीबीसीबी) 132 केव्ही लाइन हेतु हटा में 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य।
33. 132 केव्ही स्लीमनाबाद—बहोरीबंद (टीबीसीबी) लाइन हेतु 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का स्लीमनाबाद में निर्माण कार्य।
34. 132 केव्ही कटंगी—बहोरीबंद (टीबीसीबी) लाइन हेतु 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का कटंगी में निर्माण कार्य।
35. 132 केव्ही मंडला—नैनपुर सिंगल सर्किट लाइन का बेहर उपकेन्द्र में लिलो कार्य एवं 2 नग 132 केव्ही फीडर बे का बेहर में निर्माण कार्य।
36. 132 केव्ही पृथ्वीपुर—दिगोड़ा (टीबीसीबी) लाइन हेतु दिगोड़ा एवं पृथ्वीपुर में 1—1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
37. 132 केव्ही छिंदवाड़ा (220 केव्ही) —चांद (टीबीसीबी) लाइन हेतु छिंदवाड़ा में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
38. 132 केव्ही बिछुआ—चांद (टीबीसीबी) पारेषण लाइन हेतु बिछुआ में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
39. 220 केव्ही अजयगढ़ (टीबीसीबी)—132 केव्ही पन्ना डीसीडीएस लाइन के लिये पन्ना 132 केव्ही उपकेन्द्र में 2 नग फीडर बे का निर्माण कार्य।
40. 132 केव्ही लवकुश नगर — 220 केव्ही अजयगढ़ (टीबीसीबी) पारेषण लाइन हेतु लवकुश नगर में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
41. 132 केव्ही मउगंज—खैरामनिकवार (टीबीसीबी) पारेषण लाइन हेतु मउगंज 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
42. 132 केव्ही मनगंवा — खैरामनिकवार (टीबीसीबी) पारेषण लाइन हेतु मनगंवा में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
43. 132 केव्ही देवनगर — हर्रई (टीबीसीबी) पारेषण लाइन हेतु देवनगर में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
44. 132 केव्ही अमरवाड़ा—हर्रई (टीबीसीबी) पारेषण लाइन हेतु अमरवाड़ा में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य।
45. 132 केव्ही डीसीएसएस पीलूखेड़ी से ओसवाल डेनिम परिसर तक एवं पीलूखेड़ी में 1 नग फीडर बे का निर्माण।
46. 132 केव्ही उपकेन्द्र खंडवा में 1 नग 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण कार्य, लागत — रु. 155.33 लाख।
47. 400 केव्ही उपकेन्द्र छेगांव से प्रस्तावित 33/220 केव्ही पूलिंग उपकेन्द्र सकतापुर के लिए 220 केव्ही डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 39 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 6902.84 लाख।
48. 220 केव्ही कॉमन प्वाईट से प्रस्तावित 33/220 केव्ही पौलिंग उपकेन्द्र चित्रामोड़ के लिए 220 केव्ही डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 24 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 3862.71 लाख।
49. 132 केव्ही बरेली में उदयपुर के लिये 2 नग 132 केव्ही फीडर—बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 172.31 लाख रु.
50. 132 केव्ही झीरनिया से पंधाना डीसीएसएस लाईन, लंबाई 11.125
51. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र किरनापुर से गांव बोदुन्दाकला, जिला—बालाघाट में औद्योगिक क्षेत्र में संभावित उद्योगों को बिजली आपूर्ति की सुगमता हेतु प्रस्ताविल 132के.व्ही. उपकेन्द्र तक किरनापुर (400 के.व्ही. बारासिवनी डीसीडीएस लाइन के दोनों परिपथों को लिलो करने हेतु 132के.व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई—  $2 \times 4.0 + 1 \times 1.5$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 1179.30 लाख।
52. पद्धति सुदृढीकरण कार्य के अंतर्गत नवीन 132 के.व्ही. उपकेन्द्र अटूटखास (केलवा) हेतु बडवाहा—छेगांव 132के.व्ही. डीसीडीएस लाईन के एक परिपथ का एलआईएलओ निर्माण कार्य, लंबाई—  $2 \times 22$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 2222.02 लाख।
53. प्रोजेक्ट मानीटरिंग कंसल्टेंसी योजना के अंतर्गत 600मेगावॉट ओंकारेश्वर पलोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिला—खडवा हेतु मेसर्स आर. यू. एम. एस. द्वारा सकतापुर में प्रस्तावित 33/220 के.व्ही. पूलिंग उपकेन्द्र हेतु 400के.व्ही. उपकेन्द्र छेगांव (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.) से जेबरा बराबर ए सी एस एस कंडक्टर का उपयोग करते हुए 220के.व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण। लंबाई—  $2 \times 28 + 1 \times 11$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 6902.84 लाख।

54. प्रोजेक्ट मानीटरिंग कंसल्टेंसी योजना के अंतर्गत 600 मेगावॉट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिला—खंडवा हेतु मेसर्स आर. यू. एम. एस. द्वारा चित्रामोड में प्रस्तावित 33/220 के.व्ही. पूलिंग उपकेन्द्र हेतु (220के.व्ही डीसीडीएस छेगांव—सकतापुर लाइन की एलआईएलओ व्यवस्था) कॉमन प्लाइंट से चित्रामोड उपकेन्द्र तक जेबरा बराबर एसीएसएस कंडक्टर का उपयोग करते हुए 220के.व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण। लंबाई— 2X28+1X24 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 3862.71 लाख।

#### द्वितीय परिपथ का कार्य :

1. जुलवानिया (400 के.व्ही) — पाती लाइन का द्वितीय परिपथ का कार्य लंबाई 42 किमी.
2. सेंधवा (220 के.व्ही) — शाहपुर लाइन का द्वितीय परिपथ का कार्य लंबाई 12.5 किमी .
3. कटनी (400 के.व्ही) — स्लीमनाबाद लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य एवं कटनी (400 के.व्ही) उपकेन्द्र में 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य (9 नग एकल सिंगल टावर को डबल सर्किट टावर से बदलने का कार्य शामिल) लंबाई 42 किमी.
4. 132 के.व्ही नागौद — पवई डीसीएसएस लाइन के द्वितीय परिपथ का कार्य एवं 1 नग 132 के.व्ही उपकेन्द्र नागौद व 1 नग 132 के.व्ही उपकेन्द्र पवई में फीडर बे का निर्माण कार्य ।
5. 132 के.व्ही छतरपुर — नौगांव डीसीएसएस लाइन का छतरपुर बीजावर लाइन से टेप कर द्वितीय परिपथ का कार्य एवं 132 के.व्ही उपकेन्द्र नवगांव में 1 नग फीडर बे का निर्माण कार्य ।

#### (ख) 220 के.व्ही कार्य :

220 के.व्ही मंडीदीप से एचईजी (220 के.व्ही) उपकेन्द्र हेतु डीसीडीएस पारेषण लाइन एवं मंडीदीप में 2 नग फीडर बे का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत— रु. 3123.69 लाख।

#### उपभोक्ता सहमागिता कार्य :

1. श्री अरविंद पटेल, ग्राम—भेंसले तहसील महू जिला—इंदौर में स्थित परिसर से 220 के.व्ही. डीसीडीएस पीथमपुर 400—पीथमपुर(सेक्टर-1)/बड़नगर लाइन का लोकेशन क्रमांक 20 (टी) से 26 (टी) तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई— 2.2 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 424.31 लाख
- (अ) रेल्वे को 3 फेस विद्युत सप्लाई प्रदाय करने हेतु विद्यमान 132के.व्ही. 2 फेस 4 वायर (डीसीडीएस) सुवासरा—आरटीएस सुवासरा पारेषण लाइन पर तृतीय कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग का कार्य, लंबाई— 2X2 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 64.74 लाख.
- (ब) 132 के.व्ही बैरागढ — करौंद डीसीडीएस पारेषण लाइन मेट्रो उपकेन्द्र करौंद हेतु एवं बैरागढ उपकेन्द्र में 2 नग फीडर बे का कार्य लंबाई— 9.2X2 कि.मी।
- (स) आदमपुर से सागर लेक व्यू तक डीसीडीएस पारेषण लाइन (3.5X2 कि.मी.) एवं सागर लेक व्यू से रत्नागिरी तिराहा तक अंडरग्राउन्ड केबल द्वारा (1.5कि.मी.) रत्नागिरी मैट्रो उपकेन्द्र हेतु एवं आदमपुर उपकेन्द्र में 2 नग 132 के.व्ही फीडर—बे का निर्माण ।
3. भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी और 753 एल (इंदौर से बोरेगांव पैकेज 4) डिजाइन चेनेज 81.00 से 139.00 (लंबाई 58.000 किलोमीटर) के धनगांव—बोरगांव खंड के 4—लेन रोड के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. नेपानगर—छेगांव 400 के.व्ही/खंडवा (पीजीसीआईएल) लाइन के लोकेशन क्रमांक 257 से 262 तक संशोधन/विस्थापन का कार्य, लंबाई— 2X2 कि.मी., अनुमानित लागत — रु. 317.99 लाख।
4. भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी और 753 एल (इंदौर से बोरेगांव पैकेज 4) डिजाइन चेनेज 81.00 से 139.00 (लंबाई 58.000 किलोमीटर) के धनगांव—बोरगांव खंड के 4—लेन रोड के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 132के.व्ही. छेगांव—पंधाना / 132के.व्ही. डिग्रनिया—नेपा लाइन टेप आरटीएस डॉगरगांव सर्किट-1 के लोकेशन क्रमांक 13 से 21 तथा 15 आर से 6 आर (लिलो) तक संशोधन/विस्थापन का कार्य, लंबाई— 2X4.1 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 597.42 लाख।
5. भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी और 753 एल (इंदौर से बोरेगांव पैकेज 4) डिजाइन चेनेज 81.00 से 139.00 (लंबाई 58.000 किलोमीटर) के धनगांव—बोरगांव खंड के 4—लेन रोड के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 132के.व्ही. छेगांव—तलवादिया सर्किट-1 एवं सर्किट-2 के लोकेशन क्रमांक 05 से 09 तक संशोधन/विस्थापन का कार्य, लंबाई— 2X3.1 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 207.44 लाख।
6. भारतमाला परियोजना चरण-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी और 753 एल (इंदौर से बोरेगांव पैकेज 4) डिजाइन चेनेज 81.00 से 139.00 (लंबाई 58.000 किलोमीटर) के धनगांव—बोरगांव खंड के 4—लेन रोड के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. छेगांव—इंटरकनेक्टर लाईन सर्किट-3 लाइन के लोकेशन क्रमांक 04 से 08 तक संशोधन/विस्थापन का कार्य, लंबाई— 1X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 219.54 लाख।

7. श्रीमति प्रेमलता चोपड़ा पत्नी स्वर्गीय ललित प्रकाश चोपड़ा के विकास नगर, जिला— नीमच में स्थित परिसर से 132 के.व्ही. नीमच 132—विकम सीमेंट लाइन के लोकेशन कमांक 4 से 7 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई— 1X1 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 105.26 लाख।
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारत माला परियोजना के एचएम प्रणाली अंतर्गत निर्माणाधीन 4 लेन देवास—उज्जैन रोड के फलस्वरूप 132 के.व्ही. उज्जैन—देवास लाईन के लोकेशन क्र. 42 व 45 तक विस्थापन/संशोधन का कार्य, लंबाई— 1X1 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 117.56 लाख।
9. नर्मदा विकास संभाग—32 बड़वाहा के आई एस.पी. कालीसिंध लिंक परियोजना (चरण—1) की माइको लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ग्राम—नर्मदा नगर, तहसील—पुनासा, जिला—खंडवा में 132के.व्ही. उपकेन्द्र मूंदी से पम्प हाऊस—1 तथा 2 तक 132के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई— 1X39 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 4901.69 लाख।
10. नर्मदा विकास संभाग—32 बड़वाहा के आई एस.पी. कालीसिंध लिंक परियोजना (चरण—1) की माइको लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पम्प हाऊस—4 एवं 5 को 220 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र चापड़ा से विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही. उपकेंद्र चापड़ा से पंप हाऊस—4 (ग्राम—तुमरीखेड़ा, जिला—देवास) तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाईन एवं तत्पश्चात पम्प हाऊस—3 (ग्राम—बोरखलया, जिला—देवास) तक 132 के.व्ही. डी.सी.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई— 1X8.7+2X23 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 3984.84 लाख।
11. एमपीपीटीसीएल की 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस इंदौर 765—इंदौर (एन.जेड) लाईन एवं मेसर्स एसएसपीटीपीएल की ग्राम धामना 220 के.व्ही. एकल परिपथ 424.4 मेगावाट पवन उर्जा परियोजना के कॉमन कॉरीडोर हेतु 765 के.व्ही. सब—स्टेशन इंदौर पी.जी.सी.आई एल के अपरोच सेवेशन में 220 के.व्ही. एफ.सी.एफ.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई— 1 X0.60+2X0.60 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 296.87 लाख।
12. एनसीआर झांसी द्वारा ग्राम बामोर के पास ग्वालियर—श्योपुरकलां रेलवे ट्रैक के प्रस्तावित गेज परिवर्तन के कारण 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस सोतीझील—बामोर लाईन का लोकेशन कमांक 38 से 48 तक का संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई— 2X2.3 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 335.30 लाख।
13. एनसीआर झांसी द्वारा ग्राम बामोर के पास ग्वालियर—श्योपुरकलां रेलवे ट्रैक के प्रस्तावित गेज परिवर्तन के कारण 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस सबलगढ़—श्योपुर लाईन का लोकेशन कमांक 324 से 329 तक का संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई— 2X3.5 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 450.22 लाख।
14. नर्मदा विकास संभाग—25, जिला—देवास (एन.व्ही.डी.ए.) के इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के अंतर्गत प्रस्तावित पम्प हाऊस—1 (ग्राम—फतेहगढ़, जिला—देवास) को 220 के.व्ही.उपकेन्द्र हान्डिया से विद्युत आपूर्ति हेतु 132के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई— 1X30 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 2342.12 लाख।
15. नर्मदा विकास संभाग—25, जिला—देवास (एन.व्ही.डी.ए.) के इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के अंतर्गत प्रस्तावित पम्प हाऊस—2 (ग्राम—मालेगांव, जिला—देवास) को 132 के.व्ही.उपकेन्द्र सतवास से विद्युत आपूर्ति हेतु 132के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई— 1X6 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 446.32 लाख।
16. मेसर्स जे.पी.जे. एकिजम प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन के परिसर में 132 के.व्ही. उज्जैन—देवास लाईन के लोके. क. 30 से 31 तक लाईन की ऊँचाई बढ़ाने के लिए संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई— 1X0.4 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 58.14 लाख।
17. मेसर्स आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, एसइजेड पीथमपुर जिला—धार के परिसर से 132 के.व्ही. पीथमपुर आई/सी लाईन के संशोधन/विस्थापन का कार्य तथा लाईन के एक सर्किट के लोकेशन कमांक 22 से 27 तक 132के.व्ही.उपकेन्द्र एसईजेड में एलआईएलओ का कार्य,लंबाई— 2X1.4 कि.मी.,अनुमानित लागत—रु. 326.56 लाख।
18. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र खिलचीपुर जिला खण्डवा को 132के.व्ही. उपकेन्द्र खिलचीपुर से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 4वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण, लंबाई—2X2 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 254.52 लाख।
19. रेल्वे विद्युतीकरण भोपाल द्वारा निर्मित किये जा रहे इटारसी—भोपाल अनुभाग के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित आरटीएस बुधनी को 220 के.व्ही. बुधनी से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेज 4 वायर लाईन का निर्माण, लंबाई— 0.5+2X8 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 2058.14 लाख।
20. नर्मदा विकास संभाग—7 जिला—सतना (एन.व्ही.डी.ए.) के ब्रांच कैनाल नागोद (सतना) के निर्माण के फलस्वरूप 220के.व्ही. मैहर—कटनी—सतना लाईन के लोके. कमांक 152 से 153 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई— 2X1.3 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 185.27 लाख।
21. नर्मदा विकास संभाग—14 ठीकरी, तहसील—ठीकरी, जिला—बड़वानी के सूक्ष्म उद्धवन सिंचाई योजना (माइको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट) के अंतर्गत ग्राम—बाड़ा, तहसील सेरगांव जिला—खरगांव में प्रस्तावित स्टेज— 4 पंप हाऊस

- को विद्युत आपूर्ति हेतु 400 केव्ही उपकेंद्र जुलवानिया से 132 के.व्ही. डी.सी.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई— $1\times 6$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 575.75 लाख।
22. नर्मदा विकास संभाग—30, मनावर के नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर (एनजेपीटीएस) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस—4(ग्राम-चुनापिया) एवं पम्प हाउस—3 (ग्राम-कांटी) को 220के.व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (धार) से विद्युत आपूर्ति हेतु 132के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण एवं तत्पश्चात् पम्प हाउस—2 (ग्राम-खंडलाई) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132के.व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण, लंबाई—  $1\times 20+2\times 32$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 8183.03 लाख।
23. रेल्वे को 3 फेस विद्युत आपूर्ति प्रदाय करने हेतु विद्यमान 132 के.व्ही. 2फेस 4वायर डीसीडीएस नागदा 220—आरटीएस नागदा पारेषण लाईन के दोनों परिपथ में तृतीय कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग का कार्य, लंबाई— 2 कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 46.96 लाख।
24. नर्मदा विकास संभाग—21 सनावद, जिला-खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के एमएलआईएस परियोजना (एनकेएलपी) के अंतर्गत पम्प हाउस—2 एवं 3 (ग्राम-भीकनगांव-बिनजलवारा) को 132के.व्ही. उपकेन्द्र अंदाद, जिला-खरगोन से विद्युत आपूर्ति हेतु 132के.व्ही. डी.सी.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई—  $1\times 32$  कि.मी., अनुमानित लागत — रु. 2962.21लाख।
25. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही उषापारा-बेटमा मार्ग के कारण 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस इंदौर-पीथमपुर-बड़नगर पारेषण लाईन के लोकेशन कमांक 87 से 99 तक संशोधन/विस्थापन का कार्य, लंबाई—  $2\times 3$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 326.92 लाख।
26. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही उषापारा-बेटमा मार्ग के कारण 400के.व्ही. डी.सी.डी.एस इंदौर-नागदा पारेषण लाईन के लोकेशन कमांक 81 से 95 तक संशोधन/विस्थापन का कार्य। लंबाई—  $2\times 2$  कि.मी., अनुमानित लागत— रु. 341.46 लाख।

**(ग) कुल अनुमानित लागत :**

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 1520.5 करोड़ है।

**(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :**

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञापिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

**(4) एतद द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।**

एस.के. गायकवाड़, मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.).

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र. जविप्रा-भू-अर्जन-2022-123

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2022

प्रारूप अठारह

नियम 19(5) देखिए

धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-02/JBP/2020 यथा ग्राम रैगवां, रक्षा, बसहा, कचनारी, सिमरिया एवं करमेता तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कायलियीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण ए सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
2. नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर ब्लाक क्रमांक 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर

तथा प्राधिकरण की वेबसाईट [jdajabalpur.org](http://jdajabalpur.org) पर भी उपलब्ध है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कायलिय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन दिनांक 05/08/2022 से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा।

(G-1428)

क्र. जाविप्रा-2021-मू-अर्जन-251

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2021

## योजना क्रं. 2 C ग्राम-बद्नपुर डीनोटिफाइड खसरों की सूची

सरल कं	प्रकाशन के समय कृषक का नाम	प्रकाशित खसरा नं.	प्रकाशित रकमा
1	3	4	5
1	श्री बट्टीलाल आत्मज नवल सा. महाराजपुर	163/1 164/1 165/1 166/1 167/1 168/1 212/1	2.630
		168	0.158
		169	0.028
		170	0.020
		171/2	0.691
		199/2	1.019
		200	0.036
		201	0.028
		202	0.045
		203	0.040
		204	0.024
		205	0.032
		206	0.020
		207	0.008
		208/1	0.008
		208/2	0.008
		209	0.648
		210	0.020
		211	0.020
		213	0.024
		215	0.636 0.089
		220	0.049
		222	0.049
		217	0.012
		218	0.121
2	श्री छिवामी वल्द गयावीन सा. गोरखपुर	163/2	0.029
3	श्री रामसेवक वल्द रारखू प्रशाद, सा. देलीग्राम क्षाठेल	163/3	0.026

सरल क्र.	प्रकाशन के समय कृषक का नाम	प्रकाशित खसरा नं.	प्रकाशित रकवा
1	3	4	5
4	श्री गुरुबचन सिंह वल्द ज्वालारिंह, सा. महाराजपुर	164/2	0.039
		165/2	
		166/2	
		167/4	
6	श्री शिवप्रसाद वल्द सुदर्शन प्रसाद, सा. गोरखपुर	164/3	0.016
7	श्री सोहन सिंह वल्द गालीराम सा. मदनमहल	164/4	0.009
8	श्री बलदेव पिता अमरराहा ह सा. मदनमहल	164/5	0.014
9	श्री विहारी वल्द परम्पुर सा. गोरखपुर	164/6	0.014
10	श्री बारेलाल वल्द सरजू प्रसाद, सा. गोरखपुर	164/8	0.029
		165/3	
		166/4	
		167/25	
11	श्री रेवती पिता कृष्णराम, सा. दीक्षितपुरा	164/9	0.014
		165/4	
		166/5	
		167/15	
12	श्री रामेन्द्रनाथ पिता रूपेन्द्रनाथ दत्त, सा. गलगला	166/3	0.016
		167/13	
		167/14	
13	किंशारीलाल पिता सुखनंदन प्रसाद, सा. रामीतालि	167/2	0.085
14	लालासिंह पिता छज्जासिंह, सा. मदनमहल	167/3	0.044
15	तुलसी तेवा सरजू सा. गोरखपुर	167/5	0.029
16	रामनाथ पिता तुलसीराम सा. नरसिंग मंटिर	167/6	0.016
17	संतोष सिंह पिता पूरन सिंह रा. मदन महल	167/7	0.036
18	सुदीप कुमार पिता लगेन्द्र नाथ सा. टेलीग्राफ	167/8	0.017
19	दसई राम पिता वलीराम सा. टेलीग्राफ	167/9	0.016
20	चूरामन पिता वलीराम सा. टेलीग्राफ	167/10	0.014
21	नितेन्द्र माहन पिता दुधियाचल सा. पश्चिमी निवाड़गंज	167/11	0.017
22	श्रीमती जीत कौर मल्ही लाली सिंह	167/12	0.029
23	दिनीप कुमार पिता गोपाल सा. टेलीग्राफ	167/16	0.038
24	देवेन्द्र नाथ पिता शशि भूषण सा. टेलीग्राफ	167/17	0.020
25	जीतेन्द्र नाथ पिता लोकनाथ सा. राईट टाउन	167/18	0.016
26	श्री नारायण सिंह पिता लोकनाथ सिंह पश्चिमी निवाड़गंज	167/19	0.016
27	अज्ञीत सेन पिता डी.एस.सेन पश्चिमी निवाड़गंज	167/20	0.029

संख्या क्र.	प्रकाशन के समय कृषक का नाम	प्रकाशित खसरा नं.	प्रकाशित रकवा
1	3	4	5
28	पूरन जो पिता डी.एन. बनजी साकिन टेलीग्राफ	167/21	0.016
29	पाण्डुरंग पिता श्यामराम राईट टाउन ..	167/22	0.018
30	गुलाबचंद पिता लक्ष्मीचंद टेलीग्राफ	167/23	0.014
31	रतनलाल पिता हुवेलीराम गोरखपुर	167/24	0.053
32	श्री चंद्रभान, वीरेन्द्र कुमार पिता रामनाथ बेनीवाह वेना	167/25	0.029
		171/1	0.089
		172	0.040
		173	0.024
		174	0.016
		175	0.040
		176	0.081
		177	0.040
		178	0.142
	खसरा नं. 179 रकवा 2.205 हेक्टेर में से 0.487 हेक्टेर प्राधिकरण द्वारा इ.लब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य किया गया है। जिसमें से उक्त रकवा 2.205 हेक्टेर में से 0.487 हेक्टेर घटाकर रकवा 1.718 हेक्टेर डीना कार्डिल किया जा रहा है।	179	1.718
		198	0.008
		199/1	0.275
33.	नारागण पिता लक्ष्मन सा. राईट टाउन	171/3	0.053
34	श्री वीरेन्द्र कुमार पिता रामनाथ सा. जबलपुर	195	0.231
		196	0.057
		224	0.040
		225	0.198
		226	0.340
		227	0.970
		228	0.409
		229	0.069
		230	0.336
		221	1.246
35	शारदा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद धनराम पिता जोरावल भूमि वाई वेवा जोरावल भगीरहील पिता धन्नीराम प्रह्लाद पिता गुल्लू गुरौया वाई वेवा गुल्लू सा. गढ़ा	197	0.304
36	बेनी प्रसाद, भगवानि दास पिता शारदा प्रसाद राईट टाउन	212/2	0.029

संख्या क्र.	प्रकाशन के समय कृषक का नाम	प्रकाशित खसरा नं.	प्रकाशित रकम
1	3	4	5
37	बट्टी लाल पिता नवल मालती वाई शोमती वाई सावित्री वाई गीता वाई ना.वा. पिता बट्टीलाल सा. महराजपुर	216/1 219/1 223/1	3.787
38	राजभान पिता हरी महेश राम बत्तना जोजे राजभान मेवाराव सा. पी.एन.टी. कालोनी विग रोड, जबलपुर	216/2 219/2 223/2	
39	सिंगमा वाई जोजे काशीराम सा. देह	216/3 219/3 223/3	
40	रामेश्वर प्रसाद वा. जगन्नाथ प्रसाद कोमल प्रसाद पिता विरक्षा	216/4 219/4 223/4	0.020
41	प्रेमलाल पिता उदय लाल सा.देह	216/5 219/5 223/5	
42	गोकल पिता जगरु सा. देह	216/6 219/6 223/6	
43	उजारी लाल पिता जानकी प्रसाद साकेन देह	216/7 219/7 223/7	0.016
44	सीतावाई वेवा रामचरण तिवारी	216/8 219/8 223/8	

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

(G-1429)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2022—श्रावण 14, शक 1944

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )